बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 157

भ्रामक बयान

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की पहली बरसी पर सरकार ने उनके कार्यकाल के प्रमुख सिद्धांतों में से एक पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। सन 1998 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जिस पोकरण में परमाणु परीक्षण किया था, उसकी यात्रा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया 'पोकरण वह स्थान है जो अटल जी के भारत को परमाणु शक्ति बनाने और उसके बावजूद इन हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की प्रतिबद्धता जताने का साक्षी रहा है।' सिंह ने लिखा कि भारत इस सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता रहा है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह पहला अवसर नहीं है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने पहले इस्तेमाल न करने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है। सन 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सन 2003 से लागू इस नीति को लेकर संदेह जताया था।

यह सही है कि ऐसी किसी भी रक्षा नीति के बुनियादी तत्त्वों पर कभी भी बहस की गुंजाइश रहती है और इनका समय-समय पर आकलन किया जाना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त सिंह के वक्तव्य का मूल्य क्या है और क्या इस नीति में बदलाव की आवश्यकता है और सरकार में इस बारे में पूरी चर्चा की जा चुकी है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह नीति अन्य परमाणु हथियार संपन्न देशों के विरुद्ध एक विश्वसनीय प्रतिरोध है और अस्थिर माहौल में स्थिरता लाने का काम करती है। यह नीति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इन हथियारों का सैन्य प्रयोग दूर बना रहे क्योंकि वह व्यापक आपदा का कारण बन सकता है। जंगी माहौल यह दर्शा चुके हैं कि यह शत्रु द्वारा परमाणु हथियारों की सामरिक तैनाती को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाता है। यह सामरिक रूप से प्रभावी होता है लेकिन यह सामरिक परमाणु हथियारों के प्रलयकारी विनिमय की ओर भी ले जा सकता है, जिसे दोनों देश टालना ही बेहतर समझते होंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले प्रयोग न करने की नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शीतयुद्ध के दिनों में निहित है। उस समय यूरोप के भीतर पारंपरिक सैन्य शक्ति में वारसा संधि को बड़ी बढ़त हासिल थी। उस वक्त नाटो ने सोवियत आक्रमण के दौरान पश्चिमी यूरोप को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में परमाणु हथियार के पहले इस्तेमाल के विकल्प को खुला रखा था। परंतु, सोवियत सेना जिसे पारंपरिक लड़ाई में बढ़त हासिल थी, उसने सन 1983 में पहले इस्तेमाल न करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ का विभाजन होने और रूस की पारंपरिक बढ़त समाप्त होने के बाद रूस ने इस नीति को त्याग दिया। भारत को भी पाकिस्तान पर पारंपरिक बढ़त हासिल है। ऐसे में यह नीति समझ में आती है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े विवाद में भी यह कारगर होगी?

ये वे सवाल हैं जिन पर सावधानीपूर्वक चर्चा होनी चाहिए और इस दौरान देश की पारंपरिक शक्ति और परमाणु जखीरे को भी ध्यान में रखना चाहिए। राजनाथ सिंह के बयान जैसी बातें केवल सामरिक भ्रम पैदा करेंगी जो देश के हित में नहीं है। यह भी ध्यान देने लायक है कि हमारी पारंपरिक बढ़त भी समाप्त हो रही है क्योंकि रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारा परमाणु प्रतिरोध भी इतना मजबूत नहीं है जिससे सैन्य नीतिकार सोचें कि पहले हमला करके हम शत्रु की संभावित क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अगर रक्षा मंत्री केवल यही बताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के 2014 के घोषणापत्र के अनुरूप परमाणु सिद्धांत का पुनराकलन हो रहा है, तो यह बताने के अन्य तरीके भी हैं।

अजय मोहंती

कर राजस्व नहीं जीडीपी को दी जाए प्राथमिकता

देश की मौजूदा कर नीति में कर राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है जबकि प्रयास यह होना चाहिए कि कराधान से उतने ही रुपये प्राप्त करते हुए जीडीपी की दर में इजाफा किया जाए। बता रहे हैं **अजय शाह**

व्यापक तौर पर यही समझा जाता है कि हमारे देश में विभिन्न कंपनियों पर लगने वाले करों की दर वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। विदेशी निवेशकों के साथ-साथ देश के कराधान पर भी यही बात लागू होती है। अनिवासी निवेशकों के कराधान के कारण भारतीय कंपनियों की पूंजी की लागत बढ़ती है और इसका बुरा असर देश में होने वाले निवेश पर पड़ता है। इससे वित्तीय सेवाओं की वृद्धि प्रभावित होती है और उनसे संबद्ध उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं।

इतना ही नहीं इससे बाजार में नकदी की स्थिति और वित्तीय बाजारों की क्षमता पर भी नकारात्मक असर होता है। एक ऐसी दुनिया से शुरुआत करते हैं जहां भारत में निवास आधारित कर प्रणाली है: यानी अनिवासी भारतीयों पर कर नहीं लगता है। मान लेते हैं कि हम विदेशियों को भारतीय सरकारी बॉन्ड बेचने का प्रयास करते हैं और यह भी मान लेते हैं कि 10 फीसदी की ब्याज दर पर मांग और आपूर्ति समान रहती हैं।

इसमें एक और प्रावधान जोड़ते हैं: हम विदेशी निवेशकों से कहते हैं कि उन्हें भारत में जो भी ब्याज मिलता है, उसका एक फीसदी उन्हें आय कर के रूप में चुकाना होगा। विदेशियों के लिए ब्याज की आवश्यक दर तत्काल 11 फीसदी हो जाएगी। जबकि सरकार के लिए पूंजी की वास्तविक लागत वही रहेगी। धन का भुगतान सार्वजनिक ऋण प्रबंधन द्वारा किया जाता है और यह आय कर के रूप में प्रदर्शित होता है।

कई चीजों में बदलाव आएगा। बॉन्ड बाजार में प्रक्रियात्मक टकराव नजर आएगा जहां सरकार पहले अपनी उधारी लागत का 11 फीसदी चुकाएगी और फिर उसका दसवां हिस्सा कराधान के रूप में आएगा। यह निवास आधारित कराधान के तमाम लाभों में से एक है। यही कारण है कि तमाम विकसित देश इसे अपनाते हैं।

देश के निजी कॉर्पोरेट जगत की इक्विटी के साथ भी यही बात लागू होती है। हमने लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर लगाया। यह सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जहां लेनदेन पर किसी भी तरह के कराधान को अच्छा नहीं माना जाता। विदेशी निवेशक देश में इन्फोसिस के शेयर के कारोबार के बजाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इन्फोसिस के एडीआर का प्रयोग करना उचित समझेगा क्योंकि वहां इस पर कोई प्रतिभूति कर नहीं चुकाना होगा।

ऐसे में जो ऑर्डर भारत आ सकता था वह उस एक्सचेंज को चला जाएगा। इससे नकदी कम होगी और देश के वित्तीय बाजारों की किफायत प्रभावित होगी। यह प्रतिभूति कंपनियों के राजस्व को भी प्रभावित करेगा और वित्तीय बाजारों से जुड़ी अन्य सहायक सेवाओं को भी। विदेशियों पर कर लगाने का हमारा प्रयास देश को निर्यात और जीडीपी में नुकसान पहुंचाएगा।

मॉरीशस संधि देश को कर नीति की गलतियों से बचाने का अहम जरिया थी। लंबे समय तक हमारे यहां खराब कर नीति थी लेकिन मॉरीशस संधि के माध्यम से पोर्टफोलियो विदेशी निवेशकों पर लागू होने वाली विसंगतियों का असर सीमित किया जाता था। यह व्यवस्था तब तक ठीक चली जब तक कि मॉरीशस में स्थित सेवा प्रदाताओं को शुल्क चुकाया गया। अब मॉरीशस या सिंगापुर संधियों के कई प्रावधान विश्व मानकों के अनुरूप नहीं रह गए हैं।

उदाहरण के लिए मॉरीशस संधि रॉयल्टी भुगतान पर इस तरह कर लगाती है जो तरीके दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इसी प्रकार सिंगापुर संधि में स्थायी प्रतिष्ठान की परिभाषा और श्रेणी शेष विश्व से अलग हैं।

यदि हम निफ्टी डेरिवेटिव और रुपये के डेरिवेटिव पर नजर डालें तो गंवाये गये राजस्व का आंकड़ा काफी अधिक नजर आता है। वर्ष 2007 में भारत से संबंधित प्रतिभूतियों के वैश्विक कारोबार में भारत की 100 फीसदी हिस्सेदारी थी। तब से अब तक हमने वित्तीय नियमन, कराधान और पूंजी नियंत्रण के कई उपाय अपनाए। इससे वित्तीय बाजार कारोबार का नुकसान हुआ। निफ्टी और रुपये जैसे दो बड़े वित्तीय उत्पादों की गतिविधि देश से बाहर हो रही है।

इसी प्रकार भारत से संबंधित फंड प्रबंधन भी भारत में होना चाहिए। यकीनन भारत को दक्षिण एशिया या एशिया में फंड प्रबंधन का आधार बन जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक बड़ा हिस्सा नीतिगत माहौल और नीतिगत जोखिम के चलते भारत से दूर हो गया। यह जोखिम कराधान, पूंजी नियंत्रण और वित्तीय नियमन के भविष्य से जुड़ा था।

ये समस्याएं हमारी सार्वजनिक नीतिगत क्षमताओं का परीक्षण भी हैं। ऐसे में हमारे लैटिन अमेरिकी देशों जैसा बन जाने का जोखिम है जहां वित्तीय बाजार पूरी तरह न्यूयॉर्क का रुख कर चुके हैं।

कर नीति अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। टाटा स्टील जैसी कंपनी की बात करें तो उसके लिए कोयला या लौह अयस्क सबसे महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक निवेशक कर बाद प्रतिफल की तुलना चीन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया अथवा भारत के प्रतिस्पर्धी स्टील कारोबार में लगी पूंजी या डेट पूंजी से करते हैं। एक विदेशी व्यक्ति टाटा स्टाल के बॉन्ड को कर पश्चात प्रतिफल के तर्ज पर देखता है और इसकी तुलना विदेश में प्राप्त कर पश्चात लाभ से करता है। चूंकि भारत में कराधान ज्यादा है इसलिए यहां पूंजी की लागत भी बढ़ जाती है।

देश में पूंजीगत कराधान मसलन कॉर्पोरेट आय कर, लाभांश वितरण कर, उपकर और प्रतिभूति लेनदेन कर के कारण पूंजी की लागत बढ़ जाती है। यह देश में स्टील कारोबार को महंगा करती है। पूंजी की लागत में ऐसी बढ़ोतरी भारत के हित में नहीं है। इससे निवेश में कमी आएगी क्योंकि देश में निवेश की लागत बढ़ती है।

देश की कर नीति कर राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके बजाय हमें समान मात्रा में कराधान के साथ जीडीपी में इजाफा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उच्च जीडीपी हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उच्च कर और जीडीपी अनुपात पर। देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर करने की राह में कर सुधार एक अहम घटक है। देश में कर सुधारों तथा तमाम आर्थिक नीतियों का लक्ष्य जीडीपी वृद्धि दर में इजाफा करना होना चाहिए।

(लेखक नई दिल्ली स्थित नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं।)

निर्देश देने की शक्ति नियामकों को कर सकती है मदांध

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

कंपनी अधिनियम में सरकार को 'निर्देश देने' की शक्ति दे दी गई है। इस दिशा में कदम धारा 135 में प्रावधान कर उठाया गया है जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निर्वहन में स्वैच्छिक खर्च को अनिवार्य दायित्व में बदलने की बात करता है। हालांकि यह स्तंभ सीएसआर व्यय संबंधी प्रावधान को आपराधिक बनाने के बारे में नहीं है।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 को संशोधित कर एक खास उपबंध जोड़ा गया है जिसके मुताबिक 'सरकार शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक कंपनी या कंपनियों के समूह को सामान्य या खास निर्देश दे सकती है।' इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा निर्देश पाने वाली कंपनियों को इनका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह प्रावधान केंद्र सरकार को एक कंपनी को विशिष्ट निर्देश जारी करने की शक्ति कंपनी कानून में कर देता है। कानून में शामिल होने और अमल में आने के बाद यह प्रावधान सरकार को सार्वजनिक हित में कंपनियों को निर्देश देने की शक्ति देने वाली भूमिका हासिल कर लेगा।

वैसे निर्देश देने की शक्ति व्यापक स्तर पर तमाम नियामकों को दी जा चुकी है। पहली बार ऐसी शक्ति बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए में दी गई थी जिसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक 'राष्ट्रीय हित' में किसी बैंक या बैंकों के समूह को निर्देश दे सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हुए इस बदलाव ने 'सार्वजनिक हित' की जगह ले ली। उस समय नेहरू एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए थे जिसमें सरकार को आर्थिक क्रियाकलापों एवं उद्योग जगत में निर्णायक भूमिका मिलने वाली थी। वर्ष 1968 में इस धारा में 'बैंकिंग नीति के हित में' शब्दावली जोड़ी गई जिससे आरबीआई को बैंकों को निर्देश देने की व्यापक शक्ति मिल गई। इस धारा में निर्देश जारी होने के बाद बैंकों को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी दिया गया था जिसके बाद वह निर्देश संशोधित या निरस्त भी किया जा सकता था।

हालांकि आरबीआई ने इस शक्ति के इस्तेमाल में संयम बरता। असल में, आरबीआई ने 'निर्देश' शब्दावली का इस्तेमाल अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किया। इस कानून के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या बैंकों के समूचे उद्योग पर लागू होने वाले निर्देश समय-समय पर दिए जाते हैं। लेकिन आरबीआई ने कभी भी इस शक्ति का इस्तेमाल खास व्यक्ति या बाजार मध्यवर्ती को निशाना बनाने के लिए नहीं किया।

इसी तरह की भाषा नब्बे के दशक में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम की धारा 11बी में भी नजर आई जिसमें सेबी को सार्वजनिक हित और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित में निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई। रोचक बात है कि सेबी अधिनियम की इस धारा में निर्देश जारी करने के बाद प्रभावित पक्ष को उस पर अपनी राय रखने का प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसा होने से सब कुछ बाजार नियामक के विवेक पर ही निर्भर करता था। सेबी ने अपनी इस ताकत की सीमाओं को परखने की भी कोशिश की। सेबी ने इस शक्ति का प्रयोग एक स्टॉक एक्सचेंज के शासकीय बोर्ड के एक अधिकारी को हटाने के लिए किया। एक रिट याचिका में सेबी को दिए गए इस अधिकार का परीक्षण करने की मांग की गई। बाकी तो इतिहास ही है।

सेबी की इस शक्ति को न केवल एक खाली चेक के तौर पर देखा गया बल्कि संबंधित पक्ष की बात सुने बगैर इसके इस्तेमाल को संवैधानिक रूप से वैध भी ठहराया गया। निर्णय लेने के बाद सुनवाई करने का 'नियंत्रण एवं संतुलन' का तरीका इस हद तक वाजिब माना गया कि इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। वास्तव में, इस शक्ति के प्रयोग से जुड़े प्रकरणों को मनमानेपन के आधार पर अलग से चुनौती दी जा सकती है। निर्देश जारी करने से जुड़ी अतिरिक्त शक्तियां सेबी अधिनियम की धारा 11(4) में दी गईं। दूसरे पक्ष को सुने बगैर जारी एकतरफा निर्देश अगले नोटिस तक किसी कंपनी को कारोबार से बाहर कर देता है और इसमें अंतिम समाधान की कोई समयसीमा भी नहीं होती है।

दूसरे क्षेत्रों के नियामकों के पास भी अब इस तरह की शक्तियां हैं। यह परिपाटी बदस्तूर जारी है। हालांकि इन शक्तियों का इस्तेमाल उस नियामक की अपनी शख्सियत एवं उम्र पर भी निर्भर करता है। हाल ही में ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत बनी व्यवस्था के जबरन इस्तेमाल के साथ आरबीआई को यह शक्ति दी गई कि वह बैंकों को इस कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दे सकता है। लेकिन बैंकिंग उद्योग की संवेदनशीलता को ध्यान में रखे बगैर सामान्य अर्थों में इस शक्ति का इस्तेमाल करने को अदालत में चुनौती दी गई। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने आईबीसी कानून के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का बैंकों को निर्देश देने वाली अधिसूचना निरस्त कर दी है।

निर्देश जारी करने की शक्ति अपने-आप में मादक हो सकती है। यह किसी भी नियामक को शक्तिशाली होने का भ्रम दे सकती है। इस निर्देश के पालन की अपेक्षा किया जाने वाला हरेक निकाय राज्य के अंग को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा सकता है। चाहे वह रिट याचिका के जरिये हो या अपील करने के वैधानिक अधिकार के तहत। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने इटली के कानून में निहित इसी तरह की शक्ति को मानवाधिकारों का हनन करार दिया है। इस कानून का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति को एक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक नहीं बनने के लिए निर्देशित किया गया था। इस मुद्दे की अहमियत को देखते हुए इस पर बारीक निगाह रखनी होगी।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

इनाम और रिश्वत

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ पुलिसकर्मी का पुरस्कार पाने वाले तेलंगाना के एक पुलिसकर्मी को ठीक अगले ही दिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। महबूबनगर जिले के इस सिपाही का नाम है तिरुपति रेड्डी और उसे रेत ढोने वाले एक ट्रैक्टर के मालिक से 17,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दरअसल हुआ यह कि ट्रैक्टर मालिक के पास रेत ढोने का वैध परमिट था। इसके बावजूद रेड्डी ने उससे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अगली मुलाकात में जब चालक ने पुलिसकर्मी को 17,000 रुपये की रकम दी तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कर्मचारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

अटकलों का दौर

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक आयोजन की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले के प्राचीर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने की घोषणा की थी। ऐसे में अटकलें लगने लगीं कि वहां मौजूद तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से किसी उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। अटकल लगाने वाले इस बात पर सहमत थे कि थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत को यह पद मिल सकता है। ऐसे में वहां आए तमाम लोगों में जनरल रावत के साथ तस्वीर खिंचाने की होड़ लग गई। राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार अशोक मलिक, जिन्होंने अपना पद जल्द ही छोड़ने की घोषणा कर दी है, ने ट्वीट करके कहा कि अहम सवाल यह है कि वरीयता क्रम में सीडीएस को क्या स्थान मिलेगा? उन्होंने अनुमान जताया कि यह पद कैबिनेट सचिव या राज्य मंत्री के स्तर का होगा। कार्यक्रम में यह अटकल भी लगाई जा रही थी कि मलिक के बाद राष्ट्रपति का नया प्रेस सलाहकार कौन होगा?

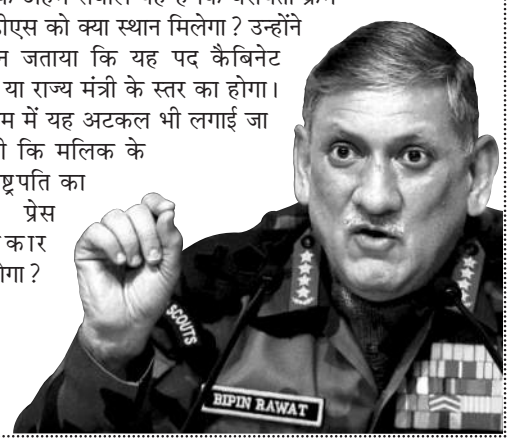

आपका पक्ष

जनसंख्या विस्फोट पर चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिवार का छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति ही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन्म देने से पहले हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों की आकांक्षाओं के साथ न्याय कर पाएंगे। विपक्ष के नेतागण भी प्रधानमंत्री के उक्त कथन का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2019 के वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 136 करोड़ तक पहुंच गई है। देश की जनसख्या 1.2 फीसदी की तेजी से बढ़ रही है तथा यह तेजी वर्तमान में देश के विकास के लिए बाधा बन कर उभर रही है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या कई

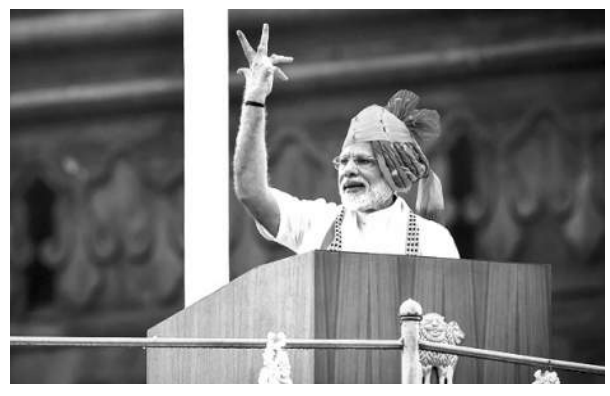

स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की

समस्याओं को जन्म दे रही है। जनसंख्या के मुकाबले देश में संसाधन कम पड़ने लगे हैं जिससे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए अब तक पिछली सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए देश की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए देश के कई अर्थशास्त्री एवं विशेषज्ञ देश में मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं और परिवार नियोजन के तहत दो बच्चे जन्म देने की नीति को अमल में लाने के लिए कहते हैं। देश के शिक्षित एवं जागरूक नागरिक भी दो बच्चों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो अशिक्षित है तथा दो से अधिक बच्चों को जन्म दता है। समाज में एक बड़ा शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो लड़कियों के जन्म को निरर्थक मानता है तथा पुत्र प्राप्ति की लालसा में परिवार नियोजन को महत्त्व नहीं देता है। इन कारणों से भी देश की जनसंख्या बढ़ रही है। आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग, पॉप्युलेशन ऐंड डिविजन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2027 तक जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा। इसलिए देश के नागरिकों एवं सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

देश में मंदी की आने लगी आहट

देश में मंदी दस्तक दे चुकी है जिसके परिणामस्वरूप वाहन उद्योग के कामगार निकाले जा रहे हैं। मंदी का असर सबसे पहले वाहन उद्योग पर ही पड़ता है। लोग मंदी की आहट सुन वाहन खरीदने की योजना को टालने लगते हैं। इससे वाहनों की बिक्री पर असर पड़ता है। वाहन उद्योग में उत्पादन के मुकाबले बिक्री कम होने से यह मंदी की गिरफ्त में आ जाता है। अभी देश की कई जगहों पर वाहन उद्योग से जुड़े कामगार बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को मंदी को उबरने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मंदी पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले इससे पहले सरकार को इसका हल खोजना चाहिए। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने अपनी आर्थिक समीक्षा में रीपो दर में कटौती की है जिससे बाजार में तरलता बढ़े। सरकार को मंदी से बचने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा।

अखिल आनंद, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।